



वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायिक सक्रियता

□ डॉ पुष्पलता गुप्ता

भारत की न्याय व्यवस्था में 1970 के बाद निरंतर ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके आधार पर न्यायाधीश व समस्त न्याय व्यवस्था से जुड़ा वर्ग यह सोचने पर विवश हुआ कि कानून व संविधान के शब्दों की तुलना में संविधान की आत्मा और भावना को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए स ऐसा स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार एक बहुमत वाली सरकार थी स उन्होंने संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा संविधान की सर्वोच्चता के स्थान पर संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित करने का प्रयास किया। 1972 के अधिनियम द्वारा यह घोषणा की गई थी कि संसद में संविधान संशोधन की कोई सीमा नहीं होगी। संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है और ऐसे संशोधन या कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती दफ़्तर है। इस संशोधन ने कार्यपालिका को सर्वोच्च बना दिया और संविधान को मृतप्राय। इसकी प्रेस व बुद्धिजीवी वर्ग में बड़ी आलोचना हुई।

लेकिन जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 पारित हुआ और इसमें यह स्पष्ट किया गया कि न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रमुख है और हमारे संविधान की जो मूल आत्मा या आधारभूत विशेषताएं हैं जैसे मौलिक अधिकार इत्यादि इन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता और ना ही इनमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। इसके पश्चात वर्तमान समय में हम लगातार देख रहे हैं कि न्यायिक सक्रियता अब युगर्धम बन गई है। 1980 के बाद निरंतर ऐसी परिस्थितियां बनी कि न्यायिक सक्रियतावाद की स्थिति बढ़ने लगी। 1984 की राजीव गांधी सरकार के बाद ऐसी सरकारें बनी जो पूर्ण बहुमत में नहीं थी अतः इन मिली-जुली सरकारों ने अपने-अपने हित साधन के लिए ऐसे ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो पार्टी विशेष के लिए हितकारी थे तथा इन्हें लागू करने में भी संविधान की आत्मा व सार्वजनिक हित के आदर्शों को ध्यान में नहीं रखती गया। इस प्रकार स्पष्ट है न्यायिक सक्रियता लगातार बढ़ती गई और इसके अपनाये जाने के निम्नलिखित

कारण हैं :

- (1) संविधान की मूल आत्मा के विपरीत कानूनों का निर्माण हुआ। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि “हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार अभियक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिये इस संविधान को अंगी.त.अधिनियमित वा आत्मार्पित करते हैं।” लेकिन हाल के वर्षों में देखा गया है कि हमारी कार्यपालिका कानूनों को लागू करते समय व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में नहीं रखती वह निरंकुश तरीके से कानूनों को लागू करती है।
- (2) कार्यपालिका द्वारा सार्वजनिक हित के प्रति निरंतर संवेदनशीलता का अभाव देखा जा रहा है।
- (3) अधिकारियों द्वारा स्वनिर्णय की शक्तियों का निरंतर दुरुपयोग किया जा रहा है।

(4) कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया जा रहा है।

(5) प्रक्रियागत त्रुटियाँ अर्थात् उचित प्रक्रिया को अपनाए बिना निर्णय थोप दिए जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाता है अतः वह न्यायालय की शरण में जाता है।

(6) प्रशासनिक आदेशों की भाषा सरल एवं तथ्य पूर्ण नहीं होती है तथा वह जनसामान्य की समझ से परे भी होती है।

न्यायिक सक्रियता के विविध रूप एवं मान्यताएंमान्यताएं— न्यायिक सक्रियता के विविध रूप एवं मान्यताएं निम्न प्रकार हैं—

1. जनहितकारी अभियोगों और जनहितकारी

याचिकाओं को मान्यता— न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत इस विचार को स्वीकार किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको कानूनों या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति गरीब, अपंग तथा सामाजिक एवं आर्थिक इति से दलित लोगों के ओर से मुकदमा लड़ सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी बिना किसी तकनीकी या कार्यविधि नियमों की परवाह किए बिना सुनवाई करेगा।

2. कानूनी न्याय के साथ-साथ आर्थिक व

सामाजिक न्याय पर बल— कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है। बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया है और बाल श्रम का निषेध किया गया है।

3. न्यायिक सक्रियता द्वारा शासन की

स्वेच्छताचरिता पर नियंत्रण— न्यायिक सक्रियता द्वारा शासन की स्वेच्छताचरिता पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। यह माना जाता है कि शासन की कार्यवाही विवेक सम्मत होनी चाहिए और उसे अपनी कार्यवाही को संपन्न करने के लिए जो कार्यविधि अपनानी चाहिए वह भी उत्तम विवेक सम्मत व न्याय पूर्ण हो।

4. शासन व जांच एजेंसियों को आवश्यक

निर्देश देना 1990 से 2003 तक के बर्षों में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय ने जब यह देखा कि जांच एजेंसियां उच्च पदस्थ व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कार्य में डिलाई बरत रही हैं तो वह विभिन्न जांच एजेंसियों को ठीक ढंग से कार्य करने के निर्देश देती रही है और इस बात का प्रतिपादन करती है कि व्यक्ति कितना ही बड़ा कर्यों न हो कानून उससे ऊपर है। न्यायिक सक्रियता के कुछ महत्वपूर्ण मामले—जब न्यायपालिका जनहित के मामलों में कार्यपालिका अथवा विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती दिखाई दे तो उसे न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी जाती है।

न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि समाज का कोई भी व्यक्ति भले ही उसका वाद से सीधा संबंध ना हो पर उसमें उसकी 'पर्याप्त रुचि' हो अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में गुहार कर सकता है अथवा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उन व्यक्तियों की शिकायतों को दूर कराने के लिए जो 'गरीबी लाचारी या असमर्थता या सामाजिक एवं आर्थिक विपन्नता' के कारण न्यायालय का द्वार नहीं खटखटा सकते, सर्वोच्च न्यायालय में फरियाद कर सकता है (एसपी गुप्ता बनाम भारत ए आई आर 1982, एस सी 149)। इस निर्णय से लोकसेवी व्यक्ति ध्नागरिक को या समाजसेवी संगठनों को छूट मिल गई है कि वे आम जनता के हित में न्यायिक राहत की मांग कर सकें।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, एआई आर 1984 एस सी 803 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा के ध्येय के प्रति समर्पित एक संगठन ने एक पत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पत्थर की खदानों का सर्वेक्षण किया और पाया कि वहां ऐसी खदानों में भारी संख्या में मजदूर अमानवीय तथा असहनीय परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और उनमें से अनेक बंधुआ मजदूर हैं। याचिकादाताओं ने याचना की कि संविधान के विभिन्न उपबन्धों और कानून के समुचित परिपालन

के लिए रिट जारी की जाए ताकि उन मजदूरों का दुख कष्ट और लाचारी दूर हो सके। न्यायालय ने पत्र को रिट याचिका माना और आयोग नियुक्त किया। उसमें दो अधिवक्ता थे। आयोग के सदस्यों से कहा गया कि वह पत्थर खदानों में जाएं और वहां जांच करें और उसके बारे में न्यायालय को रिपोर्ट दे।

लक्षीकांत पांडेय बनाम भारत संघ में एक याचिका दायर की गई उसका आधार भी एक पत्र था, उसमें शिकायत की गई कि विदेशियों को भारतीय बच्चे को देने के काम में लगे सामाजिक संगठन तथा स्वयंसेवी एजेंसिया कदाचार कर रहीं हैं, आरोप था कि सुकुमार बच्चों को गोद लेने की आड़ में उन पर अत्याचार किया जा रहा है उन्हें सुदूर देशों की यात्रा तो करनी ही पड़ती है साथ ही उनकी जान को बड़ा जोखिम रहता है और उनका आश्रय एवम भविष्य भी अधर में लटक जाता है। मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती ने बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतिपय सिद्धांत एवं मानदंड निर्धारित किए। उन्होंने सरकार तथा मामले से संबद्ध एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे इन सिद्धांतों का पालन करें (1987 1 एससीरी 667)।

इधर कुछ वर्षों में न्यायिक सक्रियता के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार है :-

प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए, बाल वेश्यावृत्ति रोकने के लिए, कर्मचारियों की जीविका की रक्षा के लिए, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए, बान्ध बनाने में सुरक्षा को लेकर होने वाले खतरों पर विचार करने के लिए, वैश्यायों के बच्चों को उनसे अलग रखने की व्यवस्था करने के, माचिस बनाने के कारखानों में कर्मचारियों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ताजमहल को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आदि। (सुभाष बनाम विहार राज्य ए आई आर 1991 एस सी 420, विशाल बनाम भारत संघ, 1990 3 एस सी सी 318, वर्कर्स आफ रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए आई आर 1990 एस सी 491, टिहरी बांध बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1991 आदि)।

2012 का साल न्यायिक सक्रियता का विशेष काल रहा जिसमें कई मामले उल्लेखनीय हैं :

1. 2 जी घोटाले में एक ऐतिहासिक पहल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम के घोटाले में फैसला देकर इसकी जोरदार शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट में इसके माध्यम से कानून के नए सिद्धांत गढ़े गए जिसमें अभियुक्तों को अपील के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों से कहा कि 2ल स्पेक्ट्रम से जुड़े मुकदमे ना तो सुने जाए ना ही कोई आदेश पारित किया जाए।
2. इसी वर्ष मुस्लिम आरक्षण पर रोक लगाई गई। अप्रैल में कोर्ट ने यह फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का कानून रद्द किया जाए, क्योंकि बिना यह तय किए कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का उच्च पदों पर कितना प्रतिनिधित्व है सरकार यूं ही आरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकती है।
3. एक और महत्वपूर्ण फैसला चुनाव आयोग से संबंधित रहा जिसमें कोर्ट ने चुनाव में धनबल का प्रयोग रोकने संबंधी निर्वाचन आयोग के आदेश को संशोधित कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि आयोग इस तरह के आदेश जारी कर ढाई लाख रुपए से ज्यादा काला धन नहीं पकड़ सकता है।

आयोग को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि अगर ढाई लाख से ज्यादा धन पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। कोर्ट का कहना था कि आयोग सिर्फ वही धन पकड़े, जिसका चुनाव और उम्मीदवार से सीधा संबंध हो।

4. इसी वर्ष कोर्ट सहारा समूह पर सख्त हुआ। कोर्ट ने सहारा समूह को निम्न एवम मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा निवेश किए गए 24000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया।
5. कोर्ट ने वोडाफोन केस में केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह वोडाफोन कंपनी के 1100 करोड़ रुपये लौट आए जो उसने विदेश में हुए सैदे पर कर लगाकर बसूले थे।

इसके अलावा वर्ष 2011 में विदेशी बैंकों में जमा काले धन को लेकर जो सरकार का रुख था

कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के रवैए पर सवालिया निशान खड़े किए। हुआ यह कि जर्मनी की सरकार ने काले धन के खिलाफ चलाए जा रहे अपनी मुहिम के तहत लिंचेस्टीन के एलटीजी बैंक में 18 भारतीयों के खाते होने की जानकारी दी थी लेकिन सरकार ने खातेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं।

अन्य भी ऐसे कई मामले हैं, जिनमें न्यायिक सक्रियता ही काम आई, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही अपने कर्तव्य पालन में कमज़ोर रहे और कोर्ट की सक्रियता ही कारगर सिद्ध हुई। 12 जुलाई 2008 को संसद में मनमोहन सिंह सरकार के विश्वासमत के दौरान संसद में नोटों की गड्ढियां लहराई गईं और यह बताया गया कि नोट कुछ सांसदों को रिश्वत के तौर पर दिए गए हैं। इस घटना का प्रसारण हुआ और पूरी दुनिया ने उसे देखा किंतु उन व्यक्तियों को कोई सजा नहीं मिली, जिन्होंने संसद को भ्रष्ट करने की कोशिश की और उसे अपमानित किया।

इस मामले में जब कोर्ट ने फटकार लगाई, तब सुप्रीम सरकार ने सक्रिय हो कर दो लोगों को हिरासत में लिया।

इसी प्रकार 3 मार्च 2011 को पीजे थॉमस की सीधीरी पद पर नियुक्ति पर अदालत की सक्रियता दिखाई पड़ी। यह संभवत पहला अवसर था जब किसी अदालत ने न सिर्फ इतने उच्च पदस्थ नियुक्ति को अवैध करार दिया अपितु उस अनुशंसा को ही अवैध घोषित कर दिया तथा रद्द कर दिया जिसके आधार पर नियुक्त की गई थी। इस प्रकरण पर सरकार की दलील थी कि कार्यपालिका द्वारा दी गई नियुक्तियों की समीक्षा अदालत नहीं कर सकती है क्योंकि नियुक्ति उसका विशेषाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि नियुक्त की न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। वास्तव में, जब अदालतें देश चलाने लगे तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र बुरी तरह

बीमार है।

दुर्भाग्यवश हमारे देश में भयंकर संवैधानिक निरक्षरता है संविधान द्वारा प्रतिपादित न्यायिक व अन्य मूल्यों के बारे में जन-जन को जानकारी देने का भी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। यही कारण है कि जनता के अधिकारों का निरंतर हनन होता रहा है, जब तक कि न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर न्यायिक सक्रियता न अपनाएं जनता को न्याय नहीं मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू न्यायपालिका की स्वतंत्रता में पूर्ण विश्वास रखते थे फिर भी उन्होंने 19 मई 1951 में संसद में कहा था कि बड़ी योजनाओं और बड़े सामाजिक परिवर्तनों में न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं है। क्या इन दृष्टांतों से वर्तमान में जनमानस में बन रही न्यायिक सक्रियता की धारणा को तोड़ने में सरकार को सफलता प्राप्त होगी, वैसे लोकतंत्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति न्यायपालिका की सक्रियता को लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं मानते हैं लिहाजा विधायिका और कार्यपालिका का कर्तव्य है कि वह गहन मंथन करें कि उससे कहां चूक हो रही है। जब विधायिका एवं कार्यपालिका अपने कर्तव्यों के पालन में कमज़ोर होती हैं, तभी जनता को कोर्ट पर आश्रित होना पड़ता ह

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. “न्यायिक सक्रियता”— डॉ० सुभाष कश्यप, दैनिक जागरण, गोरखपुर, दि.— 9 अगस्त 2010.
2. “सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता का साल”— श्याम सुमन, हिन्दुस्तान, गोरखपुर, दि.— 24 दिसंबर 2012.
3. समाचार, राष्ट्रीय सहारा, गोरखपुर, दि.— 21 जनवरी 2011.
4. “समझना होगा न्यायिक सक्रियता का मर्म”— रण विजय सिंह, राष्ट्रीय सहारा, गोरखपुर, दि.— 24 जुलाई 2011
